रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 2003/आश्विन 28, 1925
No. 166] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2003/ASVINA 28, 1925

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2003

**सं० एफ० 37-3/लीगल (iii)/2002.**—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् 20.11.2002 को अधिसूचित संशोधन विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए विद्यमान अनुसंशा विनियमों 1994 और 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् 'अभातशिप (नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन की मंजूरी तथा पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता का अनुमोदन ) संशोधन विनियम, 2002 ।'

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने/अतिरिक्त पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम आरम्भ करने / प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमोदन की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2003 है ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के विनियम संख्या 711-6-1/ईटी/96 के साथ पठित दिनांक 31 अक्तूबर, 1994 के विद्यमान विनियम संख्या 304-4/सीसीआर/रेग./94 तथा दिनांक 16 अगस्त, 2000 के विनियम संख्या 37-3/लीगल/2000 में अधिसूचित किए जाते हैं । संशोधन विनियम, 1997 के उप-विनियम 8 (आवेदनों की जांच) के अधीन खंड 4 में निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाता है :

8(4)(ड) आवेदक के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन प्रस्तुत किए गए उनके प्रस्तावों/आवेदनों के संबंध में परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख को अथवा उससे पूर्व संबंधित राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना आवश्यक होगा :

(i) नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना/उन्हें आरंभ किया जाना ।

2) अतिरिक्त कार्यक्रम(मों) को आरंभ किया जाना ।

3) अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के विद्यमान कार्यक्रमों की **प्रवेश क्षमता** * में वृद्धि ।

8(4) (च) : किसी नई तकनीकी संस्था की स्थापना/अतिरिक्त पाठ्यक्रम(मों) अथवा कार्यक्रम(मों) आरंभ करने/प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए किसी प्रस्ताव के संबंध में कट-ऑफ तारीख के पश्चात् प्राप्त हुए राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर परिषद् द्वारा किसी भी परिस्थिति में **विचार नहीं** किया जाएगा ।

8(4)(छ) : सोसाइटी/न्यास एक **विकासात्मक प्रोफाइल रिपोर्ट (डीपीआर)** प्रस्तुत करेगी/करेगा जिसमें नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए आवेदन के साथ-साथ आगामी 20 वर्षों में भविष्य में होने वाले विस्तार के लिए योजनाओं के बारे में ब्यौरे दिए गए हों ।

8(4)(ज) : जहां अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया गया है , वहां राज्य सरकार प्रस्तावों/आवेदनों के संबंध में इसके विशिष्ट कारणों का अभिलेखन लिखित रूप में करेगी ।

8(4) (झ) : यदि कट-ऑफ तारीख तक प्रस्तावों/आवेदनों के संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा अभातशिप मुख्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो परिषद् आवेदनों की आगे प्रोसेसिंग पर विचार करेगी ।

8(4) (ञ) : ऐसे आवेदकों के मामले में, जिन्होंने वर्ष 2003-2004 के लिए आवेदन किया था परन्तु जिनके आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र के कट-ऑफ तारीख के बाद प्राप्त होने के कारण विचार नही किया गया, वे वर्ष 2004-05 के लिये पुनः नया आवेदन करेंगे । तथापि, राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो वर्ष 2003-2004 के लिये कट-ऑफ तारीख के पश्चात् जारी किये गये थे, परन्तु परिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था, अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अनुसंशित प्रवेश क्षमता और पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2004-05 के लिए वैध समझे जायेंगे। प्रवेश क्षमता और/अथवा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में कोई अन्य परिवर्धन अथवा परिवर्तन के लिये नये अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

* इस बात का कि क्या मामला प्रवेश क्षमता में वृद्धि से अथवा प्रवेश क्षमता के प्रत्यावर्तन से संबंधित है, निर्णय लेने के प्रयोजन के लिए **प्रवेश क्षमता** का अभिप्राय है अनुमोदन के समय मंजूर की गई मूल प्रवेश क्षमता अथवा मंजूर की गई अधिकतम प्रवेश क्षमता, इन में से जो भी अधिक हो । प्रवेश क्षमता के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं है।

के० सुब्रमणियन, सलाहकार (प्रशासन)

[ सं० विज्ञापन III/IV/162/03 –असाधारण]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2003

**No. F. 37-3/Legal (iii)/2002.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (k) of Section 10 read with Section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following amendments to the existing approval Regulations 1994 and 1997, in supersession of the Amendment Regulations, 2002 notified on 20.11.2002, namely- "the AICTE (Grant of approval for starting new technical institutions, introduction of course or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes) Amendment Regulations, 2002 ".

**Short Title and Commencement**

(i) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education **(Grant of approval for starting new Technical Institutions/ introduction of additional courses or programmes / increase in intake)** Amendment Regulations, 2003.

(ii) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

The following amendments are hereby notified in the existing regulations No. 304-4/CCR/REG/94 dated 31st October, 1994 read with regulation No. 711-6-1/ET/96, dt. 11th April, 1997 and regulation No. 37-3/Legal/2000, dated 16th August, 2000.

The following shall stand inserted at Clause 4 under Sub-regulation 8, (Scrutiny of Application) of the Amendment Regulation, 1997 as :

8 (4) (e) : It shall be necessary for the applicant to obtain, "No Objection Certificate" (NOC) from the concerned State Government / UT, on or before the cut-off-date specified by the Council, in respect of their proposals/ applications submitted under following categories:

1) Establishment / starting of new technical institutions .

2) Introduction of additional programme(s).

3) Increase in **intake*** in the existing programmes of AICTE approved institutions.

8 (4) (f) : The NOC of the State Government, in respect of a proposal for establishment of a new Technical Institution/ Introduction of additional course(s) or programme(s)/ Increase in intake, received after the cut-off-date, shall **not** be considered by the Council under any circumstances.

8 (4) (g) : The society / trust shall furnish a **Developmental Profile Report (DPR)**, stating the details about the plans for future expansion in the coming **20** years, alongwith the application for establishment of new Technical Institution.

8 (4) (h) : The State Government shall record its specific reasons in writing, in respect of the proposals/ applications, where NOC is not granted.

8 (4) (i) : If no communication regarding NOC, is received in the AICTE headquarters from the State Government / UT in respect of the proposals/ applications, as on the cut-off-date, the Council, shall consider the applications for further processing.

8 (4) (j) : In case of applicants who had applied for the year 2003-04 but their proposals were not considered due to NOC received after the cut off date, must apply afresh for the year 2004-05. However, the NOC's from the State Government issued for the year 2003-04 after the Cut-off date, but not considered by the Council, will be considered valid for the year 2004-05 for the intake and courses recommended in the NOC. For any further addition or alteration in intake and/ or course (s), a fresh NOC will be required.

*The **intake** shall mean the original intake granted at the time of approval or the maximum intake granted, whichever is higher, for the purpose of deciding whether the case pertains to increase in intake or restoration of intake. For restoration of intake NOC is not mandatory.

K. SUBRAMANIAN, Adviser (Admn.)

[No. ADVT III/IV/162/03-Exty.]

Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064